न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः—276 / 2014 / दावा

1. मोहनलाल
2. सुरजाराम } पुत्रगण सांवलाराम
3. जीवणराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दौलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
—वादीगण

बनाम

1. दीपाराम पुत्र सांवलाराम
2. गुल्लीदेवी } पुत्रियां सांवलाराम
3. छोटीदेवी
4. रतनीदेवी बेवा भागूराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण दौलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः
1. श्री शिवपालसिंह वकील वादीगण की ओर सें।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर सें।

निर्णय

दिनांक-14.9.2020

1. वाद में वादीगण का कथन व वादसार इस प्रकार है कि वादग्रस्त पैत्रिक कृषि भूमियां नये खसरा नम्बर 116, 117, 118, 166 किता 4 कुल रकबा 2.81 हैक्टर वाके ग्राम दौलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर तथा भूमि खसरा नम्बर 493, 505, 506, 521, 522 किता 5 कुल रकबा 4.23 हैक्टर वाके ग्राम दौलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित रही है। उपरोक्त भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की पैत्रिक रही है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की वंशावली निम्न प्रकार है—

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

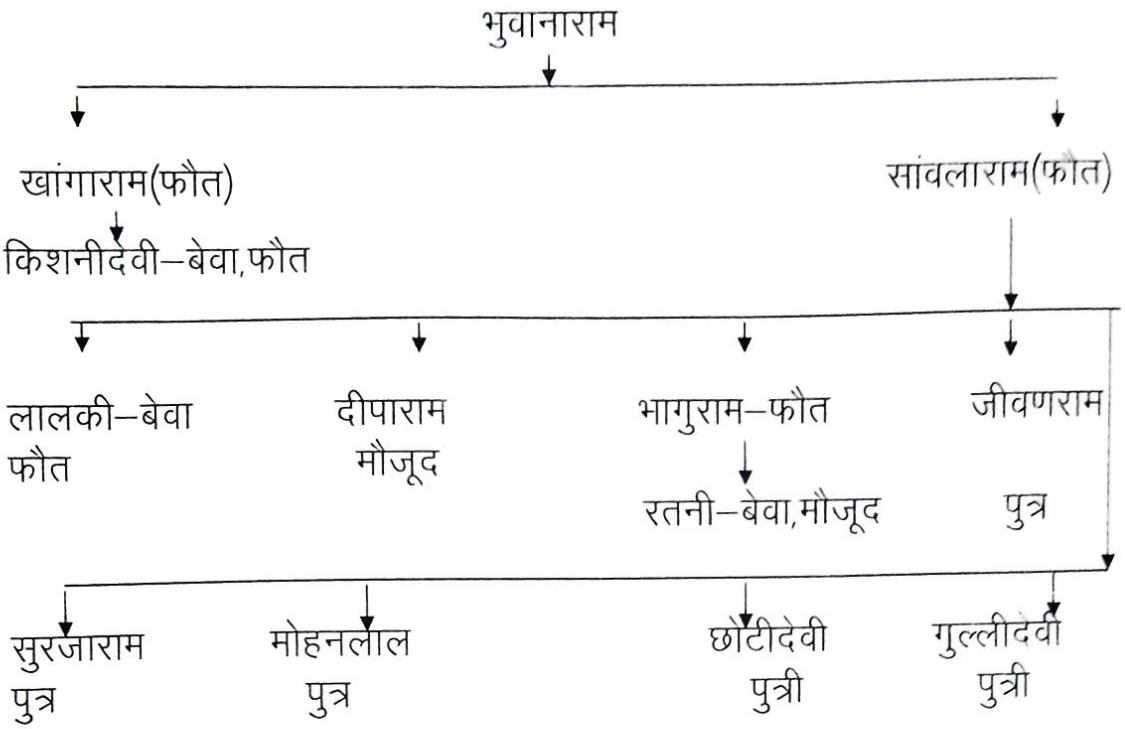

उक्त वर्णित कृषि भूमियों में सें हिस्से 1/4 की खातेदारी खांगाराम पुत्र भुवाना जाति जाट साकिन देह तथा भूमि खसरा नम्बर 116, 117, 118, 166 किता 4 कुल रकबा 2.61 हैक्टर में सें हिस्सा 1/2 की खातेदारी खांगा पुत्र भुवाना जाति जाट साकिन देह के नाम दर्ज चली आ रही है। खांगा पुत्र भुवाना की मृत्यु दिनांक 25.12.1988 को ही हो चुकी है तथा किशनीदेवी बेवा खांगाराम जाति जाट की मृत्यु भी दिनांक 10.08.1987 को हो चुकी है। अर्थात खातेदार खांगा पुत्र भुवाना तथा इसकी पत्नि किशनी बेवा खांगाराम जाति जाट नाऔलाद फौत हो गये इसलिए वादग्रस्त भूमियों सें खांगा पुत्र भुवाना के इनके हक हिस्से की भूमियों पर इनके जीवनकाल में इनके साथ साथ तथा फौत हो जाने के पश्चात खांगा पुत्र भुवाना के भाई सांवलाराम के पुत्र–पुत्रियां एवं इसके पुत्र भागुराम जिनकी मृत्यु दिनांक 29.04.2012 को हो चुकी है, की पत्नि रतनी बेवा भागुराम इनके हक हिस्से की भूमियों पर काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार खांगाराम के वारिस उसके भाई सांवलाराम के वारिसान ही है। जब वादीगण ने अपने ताउ खांगा पुत्र भुवाना का विरासत का नामांतकरण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के बराबर बराबर खुलवाने की बात कही तो ये लोग अर्थात प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हो गये तथा कहने लगे कि हमारे नाम उक्त भूमियों का वसीयतनामा है इसलिए हम उक्त भूमियां अपने नाम करवाकर अकेले कब्जा करेंगे। इसी रोज दिनांक 21.11.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 कुछ भूमाफिया गिरोह के लोगों को साथ लेकर आये तथा आते ही वादग्रस्त भूमियों की नींव

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़

सींव तोड़–फोड़ करने लगे। वादीगण ने जब इसका विरोध किया तो वादीगण को यह कहकर चले गये क तुम लोग ले–देकर वादग्रस्त भूमियों का कब्जा हमें सोंप दो वरन तुम्हें बलात् बेदखल कर देंगे। वादकारण दिनांक 02.11.2014 को वादीगण को वादग्रस्त भूमियों सें बलात् बेदखल करने की धमकियां देने एवं वर्तमान में ऐसी कुचेष्ठाओं में संलग्न होने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण–प्रतिक्षण निरंतर रूप सें जारी है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि 1. वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित पैत्रिक कृषि भूमियों में खातेदार खांगा पुत्र भुवाना का हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को समभाग रूप सें बराबर–बराबर प्रत्येक को 1/28 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे तथा उक्त भूमियों में सें खांगा पुत्र भुवाना का नाम हजफ किया जावे। 2. वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वादवर्णित भूमियों की नींव सींव में तोड़–फोड़ करने, पैड़–पौधे काटने, खुर्द–बुर्द करने, बलात् कब्जा करने करवाने मौका व राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने करवाने आदि किसी भी रूप में दखलंदाजी करने सें मय नौकर, एजेन्ट आदि सें बाज रहे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर सें वकील श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत हाजिर आये। वादी स्वयं साक्षीगण गंगाराम पुत्र चिमनाराम, शिवपाल पुत्र कानाराम व सुरजाराम पुत्र नारायणलाल ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादीगण की ओर सें प्रस्तुत दस्तोजात पर प्रदर्श संख्या 1 लगायत 3 कायम किये गये। प्रतिवादीगण की ओर सें साक्ष्य पेश नही करना चाहा गया। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चूंकि विवादित भूमियों में खातेदार खांगा पुत्र भुवाना तथा उसकी पत्नि नाऔलाद फौत हो चुके है अतः खांगाराम के वारिस उसके भाई सांवलाराम के वारिस ही अर्थात वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ही है। अतः खातेदार खांगाराम के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़

उद्घोषित किया जाना न्यायोचित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद में उद्घोषणा इस प्रकार की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 116, 117, 118, 166 किता 4 कुल रकबा 2.81 हैक्टर वाके ग्राम दौलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार खांगा पुत्र भुवाना का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/14 हिस्से का तथा भूमि खसरा नम्बर 493, 505, 506, 521, 522 किता 5 कुल रकबा 4.23 हैक्टर वाके ग्राम दौलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार खांगा पुत्र भुवाना का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/28 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। डिक्री जारी हो। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक-14.9.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

मोहनलाल आदि बनाम दीपाराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

मुकदमा नं0 276 / दावा सन् 2014 निर्णय दिनांक 14.9.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री शिवपालसिंह** मिनजानिब मुद्दई व श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर अंतिम डिक्री इस प्रकार सें जारी की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 116, 117, 118, 166 किता 4 कुल रकबा 2.81 हैक्टर वाके ग्राम दौलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार खांगा पुत्र भुवाना का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/14 हिस्से का तथा भूमि खसरा नम्बर 505, 506, 521, 522 किता 5 कुल रकबा 4.23 हैक्टर वाके ग्राम दौलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार खांगा पुत्र भुवाना का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/28 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.9.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

	रुपया	पैसे	मुद्दालह	रुपया	पैसे
अर्जीदावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
कागज सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर		
वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	0	00
मुतफरिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के काम पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ